[2019] 10 S.C.R. 1111
बैजू कुमार सोनी व अन्य
–प्रति–
झारखंड राज्य
(दाण्डिक अपील संख्या 42 सन 2018) 01 अगस्त 2019

[न्यायमूर्तिगण उदय उमेश ललित एवं विनीत सारन]

दण्ड संहिता 1860,
धारायें: 364 क, 201 और 302/34 – के अन्तर्गत अभियोजन – परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भरता – अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि – उच्चतम न्यायालय में अपील – अवधारित: कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आश्रित किसी वाद में, हर परिस्थिति को पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और और सभी परिस्थितियों को साक्ष्य की एक श्रृंखला बनानी चाहिए ताकि अभियुक्त के अपराध के अलावा हर परिकल्पना को बाहर किया जा सके– वर्तमान मामले में जिन परिस्थितियों पर विश्वास किया गया है, वे इतनी पूर्ण श्रृंखला नहीं बनाती हैं कि कोई भी युक्तियुक्त संदेह न छूटे या एक को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर दे, जिसे साबित किया जाना है – परिस्थितियाँ यह अवधारित करने के लिए पर्याप्त और यथोचित नहीं हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपने वाद को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया था– इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध अपना वाद स्थापित करने में विफल रहा– इसलिए, अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाता है – साक्ष्य – परिस्थितिजन्य साक्ष्य।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा
अवधारित: 1. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आश्रित किसी वाद में, हर परिस्थिति को पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और और सभी परिस्थितियों को साक्ष्य की एक श्रृंखला बनानी चाहिए ताकि अभियुक्त के अपराध के अलावा हर परिकल्पना को बाहर किया जा सके [प्रस्तर 14]

शरद बिरधीचंद सारदा –प्रति– महाराष्ट्र राज्य
(1984) 4 एससीसी 116 : [1985] 1 एससीआर 88;
निज़ाम एवं अन्य –प्रति– राजस्थान राज्य (2016) 1 एससीसी 550:
[2015] 10 एससीआर 786 – पर निर्भरता।

2. तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट है: क) हालांकि पी.डब्लू.7 ने कहा कि उसके एसटीडी बूथ से 12.01.2006 को लगभग 1327 बजे और 1338 बजे निर्दिष्ट मोबाइल नंबरों पर दो कॉल किए गए थे, लेकिन अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि वे दो मोबाइल नंबर या तो पी.डब्लू.4 और पी.डब्लू.10 के थे या किसी भी तरह से उनके नियंत्रण में थे। एक परिस्थिति के रूप में यह स्थापित करने के लिए कि प्रासंगिक दिन पर अपीलकर्ताओं से उक्त पी.डब्लू. 4 एवं 10 को धमकी भरे कॉल प्राप्त हुए थे, जो महत्वपूर्ण तथ्य स्थापित किया जाना चाहिए था वह यह था कि वे दो मोबाइल नंबर या तो उनके थे या नियंत्रण में थे। भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि उक्त पी.डब्लू.7 ने अपीलकर्ताओं की पहचान उन लोगों के रूप में की थी जिन्होंने दो कॉलें की थीं, इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कॉलें पी.डब्लू. 4 और 10 को की गयी होंगी। यह परिस्थिति पूरी तरह से स्थापित नहीं की गयी है जिसे अपीलकर्ताओं के विरुद्ध पढ़ा जा सके। ख) यद्यपि ड्राइंग बुक अपीलकर्ता सं 1 के घर से प्राप्त हुयी थी और यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि धमकी भरा पत्र (प्रदर्श–।।) उक्त ड्राइंग बुक के एक कागज के टुकड़े पर लिखा गया था, विधिविज्ञान विश्लेषण या हस्तलेख विशेषज्ञ के परीक्षण से यह स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था, कि धमकी भरे पत्र में लिखावट या तो अपीलकर्ताओं की थी या उनके साथ जुड़ी हो सकती है, [प्रस्तर 16]

3. दस दिन बाद 18.01.2006 को शव मिला था। इसके बाद किए गए शव परीक्षण में मृत्यु का समय 3 से 7 दिन के मध्य होना दर्शित किया गया।भले ही बाहरी उपान्त को सीमा माना जाए, तो भी परिस्थिति अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मानने के लिए पूरी तरह से अपने आप में पर्याप्त नहीं है। [प्रस्तर 17]

4. परिस्थितियाँ यथा दुपट्टे एवं चॉकलेट रैपर और बिस्कुट की बरामदगी तथा रेक्सिन बैग में शव की बरामदगी, इतनी पूर्ण श्रृंखला नहीं बनाती है कि कोई युक्तियुक्त संदेह न छूटे या साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को वर्जित कर दे और न ही परिस्थितियाँ यह अवधारित करने के लिए पर्याप्त और यथोचित हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपने वाद को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया है। [प्रस्तर 18]

निर्णयज विधि संदर्भ
[1985] 1 एससीआर 88 के प्रस्तर 14 पर निर्भर।
[2015] 10 एससीआर 786 प्रस्तर 15 पर निर्भर।

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: दाण्डिक अपील संख्या 42 सन 2018

दाण्डिक अपील संख्या 887 सन 2009, बैजू कुमार सोनी व अन्य –प्रति– झारखंड राज्य, में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.07.2017 से

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण श्री प्रकाश सिन्हा, श्री राकेश मिश्रा, सुश्री मोहुआ सिन्हा, सुश्री जागृति भारती, श्री शेखर कुमार।

प्रत्युत्तरदाता के लिए अधिवक्ता मेरुसागर सामंतराय।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया था द्वारा–

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित

1. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक 14.07.2017 को पारित किए गये निर्णय और अंतिम आदेश को चुनौती देती है, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा योजित दाण्डिक अपील संख्या 887 सन 2009 को निरस्त कर दिया गया था और जिससे इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा धारा 364–क, 201, 302 सहपठित 34 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में दर्ज की गयी दोषसिद्धि की पुष्टि की गयी थी।

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक अवयस्क लड़की, आयु लगभग 3 वर्ष, 08.01.2006 को उस समय लापता हो गयी, जब वह अपने घर के सामने खेल रही थी। लड़की के पिता पी.डब्लू.10 अनिल प्रसाद सोनी ने पहले दिन लड़की की तलाश की और उसके बाद प्रभारी अधिकारी, पुलिस थाना भुरकुण्डा के पास दिनांक 09.01.2006 को सुबह 9 बजे एक सूचना, सनहा संख्या 142/06 दर्ज करायी, जिसके आधार पर पुलिस थाना भुरकुंडा, उप–खण्ड़ रामगढ़, जनपद हज़ारीबाग़ में दिनांक 13.01.2006,को एफआईआर संख्या 11/06, धारा 364 और 365 भा.द.सं. के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया था। ।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, उक्त पी.डब्लू.10 को दिनांक 11.01.2006 को लगभग 1236 बजे, रामगढ़ एसटीडी बूथ से एक अज्ञात व्यक्ति से कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें उसे धमकी दी गयी थी कि उसका भाई चालक बन रहा है, जिसके लिए पी.डब्लू.10 को इसकी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। फोन करने वाले ने पी.डब्लू.10 को बताया कि उसकी बेटी शाम तक पहुंच जाएगी और उसे प्रशासन को न बताने के लिए कहा।

4. अगले दिन अर्थात 12.01.2006 को लगभग 1335 बजे, पी.डब्लू.10 को फिर से दूसरे एसटीडी बूथ अर्थात पतरातू एसटीडी बूथ से कॉल आयी, लेकिन यह एक मिस्ड कॉल थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग उसी समय, उक्त पी.डब्लू.10 के भाई पी.डब्लू.4 उदय सोनी को एक और कॉल प्राप्त हुयी थी। फोन करने वाले ने उक्त

पी.डब्लू.4 धमकी दी और उसे बताया कि फोन करने वाले ने उसकी भतीजी का अपहरण कर लिया है। जब कॉल करने वाले से इस तथ्य के प्रमाण के बारे में पूछा गया, तो कॉल करने वाले ने कहा कि पी.डब्लू.4 को उनके घर के पास मंदिर की छत पर प्रमाण मिल सकता है। उसके बाद, मंदिर की छत पर एक पॉली बैग पाया गया, जिसमें लड़की का एक लाल टॉप और चप्पल के साथ–साथ एक धमकी भरा पत्र भी था (चिह्न X के साथ प्रदर्श– II – पहचान के लिए एक प्रति का लिखित पत्रक)

5. ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 18.01.2006 को खेलारी थाना पुलिस द्वारा बाँध से एक काले रंग के रेक्सिन बैग में लड़की का शव बरामद किया गया था।
शव परीक्षण आख्या में संकेत दिया गया:

"लाल रंग का नायलॉन का कपड़ा (रस्सी जैसा बना हुआ), गरदन के चारों ओर बांधा हुआ है।
गांठ गर्दन के बायीं ओर मौजूद है जो कि स्थिर गांठ है।

बन्धक सामग्री को को हटाने के बाद गर्दन के चारों ओर 2 सेमी चौड़ाई का बन्धक चिह्न स्थित है। यह तिर्यक है और उसके नीचे कोमल ऊतकों के कुचलन सहित लगातार है।

मत–(1) ऊपर उल्लेखित बन्धक चिह्न मृत्यु पूर्व है।
(2) मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप शवांसावरोध से हुयी है।
(3) मृत्यु का समय – 3 दिन से 7 दिन के मध्य।

लड़की के शव की पहचान पी.डब्लू.10 की पुत्री के रूप में की गयी और उसके बाद पहले से पंजीकृत अपराध के संबंध में धारा 302 और 201 भा.द.सं. भी जोड़ दी गयी।

6. अन्वेषण के क्रम दौरान, अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे और किसके द्वारा अपराध में गिरफ्तारी किये जाने हेतु अपीलकर्ताओं की भूमिका पर संदेह किया गया। अपीलकर्ता न तो एफआईआर में नामित थे और न ही किसी व्यक्ति ने पुलिस को दिए किसी कथन में उनका नाम लिया था। प्रासंगिक रूप से, एफआईआर में किसी अन्य को संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद, अपीलकर्ताओं के संस्वीकृति कथन पुलिस द्वारा अंकित किए गये, जिसके अनुसार निम्नलिखित चीजें बरामद की गयीं :

(i) अपीलकर्ता के घर से लड़की का एक दुपट्टा बरामद किया गया

क्रमांक 2;

(ii) अपीलकर्ता संख्या 1 के घर से एक ड्राइंग बुक बरामद हुयी थी, जिसमें से एक कागज का टुकड़ा फटा हुआ था जिस पर धमकी भरा पत्र (प्रदर्श II) लिखा हुआ बताया गया था।

7. अन्वेषण की समाप्ति पर, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 364–क, 201, 302 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और उन पर उक्त अपराधों कारित करने के लिए विचारण चलाया गया।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकाशित किये गये साक्ष्य में मुख्य रूप से सम्मलित हैं:

(i) पी.डब्लू.10, उसका भाई पी.डब्लू.4 जिन्होंने टेलीफोन कॉल प्राप्त होने का अभिसाक्ष्य दिया, लेकिन साक्षी आवाज से कॉल करने वाले की पहचान नहीं कर सके;

(ii) अभियोजन पक्ष ने पी.डब्लू.7 विकास कुमार की परिसाक्ष्य पर भी भरोसा किया, जो पतरातू में विकास एसटीडी बूथ चलाता था, उसने दो बिल (प्रदर्श–।) प्रस्तुत किए, जो दर्शाते हैं कि उसके एसटीडी बूथ से 12.01.2006 को 1327 बजे और 1338 बजे पर क्रमशः दो मोबाइल नंबर 9934152854 और 943 1336988 पर दो कॉल किए गए थे। पी.डब्लू.7 ने अपीलकर्ताओं की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में की जो संबंधित तिथि पर उसके एसटीडी बूथ पर आए थे और उन दो कॉलों को किया था।

(iii) पी.डब्लू. उत्तम कुमार खरबार ने अभिसाक्ष्य दिया कि 09.01.2006 को, जब वह भुरकुंडा रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा, तो उसने अपीलकर्ताओं को एक भरा हुआ रेक्सिन बैग ले जाते हुए देखा था, जिसे वे अपने साथ ले गए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यही, वह रेक्सिन बैग था जिसमें लड़की का शव अंततः बांध में पाया गया था।

9. इस प्रकार अभियोग पक्ष द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा किया गया :

(1) पी.डब्लू.7, जो एसटीडी बूथ चला रहा था, ने दोनों अपीलकर्ताओं को अपने टेलीफोन बूथ पर देखा था और उनके द्वारा 12.01.2006 को 1327 बजे और 1338 बजे ऊपर बताए गए मोबाइल नंबरों पर दो कॉल किए गए थे।

(2) दूसरे अपीलकर्ता के घर में एक दुपट्टा पाया गया था।

(3) पहले अपीलकर्ता के घर में एक ड्राइंग बुक मिली थी जो धमकी भरे पत्र (प्रदर्श ।।) से जुड़ी हो सकती है।

(4) अभियोजन साक्षियों ने दोनों अपीलकर्ताओं को 09.01.2016 को भुरकुंडा रेलवे स्टेशन पर एक भरे हुए रेक्सिन बैग के साथ ट्रेन में चढ़ते हुए देखा था।

(5) अंततः पी.डब्लू.10 के घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर लड़की का शव एक रेक्सिन बैग में मिला था।

(6) अपीलकर्ताओं के घर के पास चॉकलेट और बिस्कुट के कुछ रैपर पाए गये थे।

10. इन परिस्थितियों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने प्रतिवाद किया कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध प्रश्नगत अपराध स्थापित किए गए थे।

अभियोजन पक्ष के मामले को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जिसने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 17–20.04.2009 द्वारा दोनों अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध किया था और धारा 364–क भा.द.सं. के अन्तर्गत अपराध के लिए 10 वर्ष के कारावास से तथा धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अन्तर्गत अपराध के लिए आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट किया था। यद्यपि दोषसिद्ध किया था, तथापि धारा 201 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अपराध के सम्बन्ध में दण्डादेश का पृथक आदेश पारित नही किया गया था। सभी दण्डादेश एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

11. अपीलकर्ताओं ने व्यथित होकर दाण्डिक अपील संख्या 887 सन 2009 योजित कर झारखंड उच्च न्यायालय रांची के पास गये, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

12. उच्च न्यायालय के अनुसार, मृतका के दुपट्टे की बरामदगी, ड्राइंग बुक की बरामदगी, जिसके पन्नों का उपयोग धमकी भरा पत्र लिखने के लिए किया गया था, साथ ही यह तथ्य कि पी.डब्लू.5 ने अपीलकर्ताओं को उसी

रेक्सिन बैग के साथ देखा था जिसमें मृत शरीर पाया गया था, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त परिस्थितियाँ थीं।

13. इस अपील में, हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के साथ–साथ प्रतिवादी–राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना और उनकी सहायता से, हमने पूरे अभिलेख का अध्ययन किया है।

14. इस बिन्दु पर विधि सुस्थापित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, हर परिस्थिति को पूरी तरह से साबित होनी चाहिए और सभी परिस्थितियों को साक्ष्य की एक श्रृंखला बनानी चाहिए ताकि अभियुक्त के अपराध के अलावा हर परिकल्पना को बाहर किया जा सके। इस न्यायालय द्वारा शरद बिरधीचंद सारदा –प्रति– महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116, में यह कहा गया था:

“153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण से दर्शित होगा कि किसी वाद को किसी अभियुक्त के विरुद्ध पूरी तरह से स्थापित होना कहे जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए :

(1) परिस्थितियों जिनसे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया है कि सम्बन्धित परिस्थितियाँ स्थापित 'आवश्यक होनी चाहिए' या होनी चाहिए' न कि 'हो सकती हैं'।

साबित किया जा सकता है' और 'अवश्य साबित होना चाहिए या साबित होना चाहिए' के मध्य में न केवल व्याकरणिक बल्कि विधिक भेद भी है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे –प्रति– महाराष्ट्र राज्य (1973) 2 एससीसी 793, में अवधारित किया गया था। जहां निम्नलिखित प्रेक्षण किये गये थे :

“निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि न्यायालय दोषसिद्ध कर सकता है से पहले अभियुक्त दोषी होना चाहिए और न कि केवल हो सकता है तथा 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के मध्य मानसिक दूरी लम्बी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के संगत होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना का स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें एक को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए जिसे

सिद्ध किया जाना है, और

(5) साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि ऐसे निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न छूट जाये जो अभियुक्त की निर्दोषता के संगत हो और यह दिखाना पड़ेगा कि पूरी मानवीय संभाव्यताओं में वह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।”

15. 'निज़ाम एवं अन्य –प्रति– राजस्थान राज्य' (2016) 1 एससीसी 550 में, अभियुक्त को धारा 302 सहपठित धारा 201 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त करते समय इस बिंदु की विधि को दोहराया गया। निर्णय के प्रस्तर 9 और 10 थे:–

“9. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा अनेक वादों में दोहराया गया है।

बोधराज –प्रति– जे. / एवं के. राज्य (2002) 8 .एससीसी 45 में इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों को उद्धृत किया और निम्नानुसार अवधारित किया: (एससीसी पृष्ठ 55–56, प्रस्तर 10–11)

10. इस न्यायालय द्वारा लगातार यह निर्धारित किया गया है कि जहां कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, वहां अपराध के अनुमान को तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी आरोपकारी तथ्य और परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पायी जायें। (देखें हुकम सिंह –प्रति– राजस्थान राज्य (1977) 2 एससीसी 99, इराडु –प्रति– हैदराबाद राज्य एआईआर 1956 एससी 316, ईराभद्रप्पा –प्रति– कर्नाटक राज्य (1983) 2 एससीसी 330, उ.प्र. राज्य – प्रति– सुखबासी (1985) सप्प. एससीसी 79, बलविंदर सिंह –प्रति– पंजाब राज्य (1987) 1 एससीसी 1 और अशोक कुमार चटर्जी –प्रति– मध्य प्रदेश राज्य (1989) सप्प (1) एससीसी 560)। जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराध के बारे में अनुमान लगाया जाता है, उन्हें युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और उन परिस्थितियों से निकाले जाने वाले अनुमानित मुख्य तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए। भगत राम –प्रति– पंजाब राज्य एआईआर (1954) एससी 621 में, यह निर्धारित किया गया था कि

जहां मामला परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता को नकार दे और अपराध को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दे।

11. हम सी. चेंगा रेड्डी –प्रति– ए.पी. राज्य (1996) 10 एससीसी 193 में इस न्यायालय के एक निर्णय का भी संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें यह इस प्रकार प्रेक्षित किया गया है: (एससीसी पृष्ठ 206–07, प्रस्तर 21)
" 21. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में, स्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्यों की श्रृंखला में कोई अन्तराल नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा, साबित परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषिता के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए।"

10. त्रिमुख मारोती किरकन –प्रति– महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एससीसी 681, में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया: (एससीसी पृष्ठ 689, प्रस्तर 12)

“72. हस्तगत प्रकरण में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में सामान्य सिद्धांत यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जा रहा है, उन्हें प्रबलता और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए; कि वे परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो त्रुटिहीन रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करती हों; संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को इतनी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बचाव न हो कि सभी मानवीय संभाव्यताओं में अपराध अभियुक्त द्वारा कारित गया था तथा उन्हें अभियुक्त के अपराध एवं उसकी निर्दोषता के असंगतता के अलावा किसी भी परिकल्पना पर स्पष्टीकरण के लिए अक्षम होना चाहिए।

यही सिद्धांत सुनील क्लिफोर्ड डैनियल –प्रति– पंजाब राज्य (2012) 11 एससीसी 205, संपत कुमार –प्रति– पुलिस निरीक्षक (2012) 4 एससीसी 124 और मोहम्मद आरिफ –प्रति– राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2011) 13 एससीसी 621 और अन्य दूसरे निर्णयों में भी दोहराए गए थे।”

16. इन स्थापित सिद्धांतों के आलोक में, तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह स्पष्ट है:

क) यद्यपि पी.डब्लू.7 ने कहा कि उसके STD बूथ से 12.01.2006 को लगभग 1327 बजे और 1338 बजे निर्दिष्ट मोबाइल नंबरों पर दो कॉल किए गए थे, लेकिन अभिलिख पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि वे दो

मोबाइल नंबर या तो पी.डब्लू.4 और पी.डब्लू.10 के थे या किसी भी तरह से उनके नियंत्रण में थे। एक परिस्थिति के रूप में स्थापित करने के लिए कि प्रासंगिक दिन पर अपीलकर्ताओं से उक्त पी.डब्लू. 4 और 10 को धमकी भरे कॉल प्राप्त हुए थे, जो महत्वपूर्ण तथ्य स्थापित किया जाना चाहिए था वह यह था कि वे दो मोबाइल नंबर या तो उनके थे या उनके नियंत्रण में थे। भले ही हम उस सिद्धांत को स्वीकार कर लें जिसमें कहा गया है कि पी.डब्लू.7 ने अपीलकर्ताओं की पहचान उन लोगों के रूप में की थी जिन्होंने दो कॉलें की थीं, इससे हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि कॉलें पी.डब्लू. 4 और 10 को की गयीं होंगी। यह परिस्थिति पूरी तरह से स्थापित नहीं की गयी है, जिसे अपीलकर्ताओं के विरुद्ध पढ़ा जा सके।

ख) यद्यपि ड्राइंग बुक अपीलकर्ता क्रमांक 1 के घर से प्राप्त हुई थी और यह अभियोजन पक्ष का वाद था कि धमकी भरा पत्र (प्रदर्श–II) उक्त ड्राइंग बुक के कागज के टुकड़े पर लिखा गया था, विधिविज्ञान विश्लेषण या हस्तलेख विशेषज्ञ के परीक्षण से यह स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था, कि धमकी भरे पत्र में लिखावट या तो अपीलकर्ताओं की थी या उनके साथ जुड़ी हो सकती है,

17. परिस्थिति संख्या 4, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, बताती है कि लड़की के लापता होने के अगले दिन मृतका का शव अभियुक्त द्वारा रेक्सिन बैग में ले जाया गया था। दस दिन बाद 18.01.2006 को शव पाया गया। उसके बाद किए गए शव परीक्षण में मृत्यु का समय 3 से 7 दिन के बीच बताया गया। भले ही बाहरी उपान्त को सीमा माना जाए, तो भी परिस्थिति अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मानने के लिए पूरी तरह से अपने आप में पर्याप्त नहीं है।

18. फिर हमारे पास क्रम संख्या 2, 5 और 6 की परिस्थितियाँ रह जाती हैं। ये परिस्थितियाँ इतनी पूर्ण श्रृंखला नहीं बनाती हैं कि कोई युक्तियुक्त संदेह न छूटे या साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को वर्जित कर दे और न ही परिस्थितियाँ यह अवधारित करने के लिए पर्याप्त और यथोचित हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपने वाद को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया है।

19. परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, अभियोजन अपीलकर्ताओं के खिलाफ वाद स्थापित करने में विफल रहा है। परिणामतः, अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं। इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त करते हैं।

अपीलकर्ताओं को तत्काल मुक्त किया जाये, जब तक कि किसी अन्य अपराध के संबंध में उनकी अभिरक्षा की आवश्यकता न हो।

अपील स्वीकार की गयी।

Vetted by :
Ram Pratap Singh Rana
J.O. Code–UP 6279
Addl. District & Sessions Judge
Prayagraj, U.P.